

प्रेस नोट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर दिनांक 12.11.2022

फर्जी बैंक खोलकर धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर, के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध त्वरित चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा एवं थाना प्रभारी के निर्देशन में उ०नि० अलोक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में मु०अ०स० 455/16 धारा 419,420,406,467,468,471 IPC से संबंधित अभियुक्त 1. वाजिद अली पुत्र जकाउल्लाह निवासी गेहुअन्वा थाना पनियरा जनपद महाराजगंज को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण – पुर्वांचल जन सेवा किसान संस्थान फर्जी बैंक खोल कर धोखा धड़ी कर पैसे हड़प कर लेना -

अभियुक्त का नाम एवं पता

वाजिद अली पुत्र जकाउल्लाह निवासी गेहुअन्वा थाना पनियरा जनपद महाराजगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०स० 455/16 धारा 419,420,406,467,468,471 IPC

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम –

- 1.SI अनूप तिवारी थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
- 2.SI अनीस शर्मा थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
3. हे०का०रविन्द्र सिंह थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
- 4.का० भानू सिंह थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर